संख्या– 2050 /आठ–5–14–11ई/09

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त अध्यक्ष,**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2014

विषयः– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित सेवा) के अभियन्त्रण संवर्ग का पुनर्गठन करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित सेवा) के अभियन्त्रण संवर्ग में पदों का सृजन प्राधिकरण के गठन के समय किया गया था। प्राधिकरणों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होने, नगरीय जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने तथा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के फलस्वरूप विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं नगरों के सुनियोजित विकास तथा प्राधिकरण की सीमा में हो रहे अनाधिकृत निर्माण के रोकथाम हेतु अभियन्त्रण संवर्ग को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या–863(एस/बी)/13 सैयद मो0 हैदर रिजवी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं सम्बद्ध रिट याचिका संख्या–1340(एस/बी)/13 चन्द्र मोहन सिन्हा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनाँक 22.10.13 को पारित आदेश के माध्यम से अभियन्त्रण संवर्ग के अन्तर्गत वि0/यॉ0 संवर्ग को पुनर्गठित करने की कार्यवाही 06 सप्ताह के अन्दर किये जाने के निर्देश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है।

3– प्राधिकरणों में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यो के सफल क्रियान्वयन हेतु अभियन्त्रण संवर्ग के अन्तर्गत पूर्व में सृजित पदों में कुछ पदों को स्थगित करते हुए नवीन उच्च पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। पुनर्गठन के फलस्वरूप उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत पूर्व से सृजित एवं वर्तमान में अतिरिक्त रूप से सृजित होने वाले पदों को मिलाकर एवं अवर अभियन्ता के अधिसंख्य रूप से सृजित 211 पदों को सम्मिलित करते हुए सिविल एवं वि0/यॉ0 संवर्ग का निम्नलिखित तालिका के अनुसार पदों को

कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) सिविल संवर्ग

क0	पदनाम	पूर्व सृजित पद	पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित होने वाले अथवा कम होने वाले पदों की संख्या	पूर्व सृजित एवं पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित पदों को मिलाकर कुल सृजित पदों की संख्या
1	**2**	**3**	**5**	**6**
1	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	09	02	11
2	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	07	07	14
3	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	36	09	45
4	सहायक अभियन्ता (सिविल)	160	20	180
5	अवर अभियन्ता (सिविल)	416 मौलिक पद एवं अधिसंख्य रूप से सृजित 211 पद	मौलिक रूप से सृजित 416 पदों में 38 पदों को कम करते हुए उक्त पदों को उच्चीकृत किया गया।	378 मौलिक रूप से एवं 211 अधिसंख्य रूप से
	कुल–	**839**	**–**	**839**

(2) वि0/यॉ0 संवर्ग

क0	पदनाम	पूर्व सृजित पद	पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित होने वाले अथवा कम होने वाले पदों की संख्या	पूर्व सृजित एवं पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित पदों को मिलाकर कुल सृजित पदों की संख्या
1	**2**	**3**	**5**	**6**
1	मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0)	–	01	01
2	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यॉ0)	01	01	02
3	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0)	12	02	14
4	सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)	57	–01	56
5	अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0)	176	–03	173
	कुल–	**246**	**–**	**246**

4– अवर अभियन्ता (सिविल) सवर्ग के 416 पद सृजित हैं तथा 211 पद अधिसंख्य रूप से सृजित हैं। उक्त 416 पदों में से ही 38 पद उच्चीकृत करते हुए मुख्य अभियन्ता (सिविल) के 02 पद, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 07 पद, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 09 पद एवं सहायक अभियन्ता (सिविल) के 20 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किये जा रहे हैं। अवर अभियन्ता (सिविल) के 211 अधिसंख्य पद पूर्व की भाँति बने रहेंगे। उक्त 211 अधिसंख्य पदों का समायोजन सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने वाले अवर अभियन्ता (सिविल) के 378 पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

5– अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) के सृजित 176 पदों में से 03 पद एवं सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के सृजित 57 पद में से 01 पद इस प्रकार कुल 04 पद उच्चीकृत करते हुए मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0) का 01 पद, अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यॉ0) का 01 पद एवं अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के 02 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किये जा रहे हैं।

6– उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के पुनर्गठन के उपरान्त पूर्व से सृजित पद एवं अतिरिक्त रूप से सृजित पदों पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय भार प्राधिकरणों द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं प्रदान की जायेगी।

7– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के अशा0 पत्र संख्या–ई–8–2652/दस–14, दिनांक 11.9.14 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

11/9/14
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/3379 /आठ-5-14-11ई/09

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त अध्यक्ष,**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषयः- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित सेवा) के अभियन्त्रण संवर्ग का पुनर्गठन के उपरान्त सृजित पदों को प्राधिकरणवार निर्धारण करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2050/आठ-5-14-11ई/09, दिनांक 11.9.14 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 11.9.14 के माध्यम से उ0प्र0 विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित सेवा) के अभियन्त्रण संवर्ग के अन्तर्गत सिविल एवं वि/यॉ0 अभियन्त्रण के लिए निम्नानुसार पदों को सृजित किया गया है :-

सिविल संवर्ग

क0	पदनाम	पूर्व सृजित पद	पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित होने वाले अथवा कम होने वाले पदों की संख्या	पूर्व सृजित एवं पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित पदों को मिलाकर कुल सृजित पदों की संख्या
1	**2**	**3**	**5**	**6**
1	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	09	02	11
2	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	07	07	14
3	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	36	09	45
4	सहायक अभियन्ता (सिविल)	160	20	180

5	अवर अभियन्ता (सिविल)	416 मौलिक पद एवं अधिसंख्य रूप से सृजित 211 पद	मौलिक रूप से सृजित 416 पदों में 38 पदों को कम करते हुए उक्त पदों को उच्चीकृत किया गया।	378 मौलिक रूप से एवं 211 अधिसंख्य रूप से
	कुल–	**839**	–	**839**

<u>वि0 / यॉ0 संवर्ग</u>

क0	पदनाम	पूर्व सृजित पद	पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित होने वाले अथवा कम होने वाले पदों की संख्या	पूर्व सृजित एवं पुनर्गठन के उपरान्त अतिरिक्त रूप से सृजित पदों को मिलाकर कुल सृजित पदों की संख्या
1	**2**	**3**	**5**	**6**
1	मुख्य अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	–	01	01
2	अधीक्षण अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	01	01	02
3	अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	12	02	14
4	सहायक अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	57	–01	56
5	अवर अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	176	–03	173
	कुल–	**246**	–	**246**

3– उ0प्र0 विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित सेवा) के अभियन्त्रण संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्व से सृजित एवं वर्तमान में अतिरिक्त रूप से सृजित होने वाले पदों को मिलाकर एवं अवर अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य रूप से सृजित 211 पदों को सम्मिलित करते हुए सिविल एवं वि0 / यॉ0 संवर्ग का निम्नलिखित तालिका के अनुसार पदों को शासनादेश संख्या–2050 / आठ–5–14–11ई / 09, दिनांक 11.9.14 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्राधिकरणवार सृजित / आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

<u>**सिविल संवर्ग**</u>

क0	प्राधिकरण का नाम	सिविल संवर्ग के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित पद					
		मुख्य अभि0	अधी0 अभि0	अधि0 अभि0	सहा0 अभि0	अवर अभि0 के मौलिक रूप से सृजित पद	अवर अभि0 के अधिसंख्य रूप से सृजित पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	गाजियाबाद	01	01	08	32	91	24

2	कानपुर	01	01	03	12	25	15
3	लखनऊ	01	01	08	32	85	29
4	आगरा	01	01	02	08	16	8
5	इलाहाबाद	01	01	02	08	16	08
6	मेरठ	01	01	02	08	16	14
7	मुरादाबाद	01	01	02	08	16	08
8	अलीगढ़	—	01	01	04	06	04
9	बरेली	01	—	02	08	10	10
10	गोरखपुर	01	—	02	07	10	10
11	मथुरा--वृन्दावन	01	—	01	04	08	04
12	वाराणसी	—	01	02	06	12	08
13	बॉदा	—	—	01	02	04	04
14	बुलन्दशहर	—	01	01	03	04	06
15	फैजाबाद	—	01	01	03	04	06
16	फिरोजाबाद	—	—	01	03	04	06
17	हापुड–पिलखुआ	01	—	01	04	08	04
18	झॉसी	—	—	01	02	04	06
19	मुजफ्फरनगर	—	01	01	04	08	04
20	रायबरेली	—	01	01	04	08	04
21	सहारनपुर	—	01	01	04	08	04
22	उन्नाव	—	—	01	03	04	06
23	रामपुर	—	—	—	01	01	03
24	उरई	—	—	—	01	01	03
25	खुर्जा	—	—	—	02	02	04
26	बागपत	—	—	—	01	01	03
27	आजमगढ़	—	—	—	01	01	01
28	शक्तिनगर वि०क्षे०	—	—	—	01	01	01
29	कुशीनगरवि०क्षे०	—	—	—	01	01	01
30	चित्रकूट वि०क्षे०	—	—	—	01	01	01
31	कपिलवस्तुवि०क्षे०	—	—	—	01	01	01
32	मिर्जापुर वि०क्षे०	—	—	—	01	01	01
	कुल–	**11**	**14**	**45**	**180**	**378**	**211**

वि0 / यॉ0 संवर्ग

क्र0	प्राधिकरण का नाम	वि0 / यॉ0 संवर्ग के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित पद				
		मुख्य अभि0	अधी0 अभि0	अधि0 अभि0	सहा0 अभि0	अवर अभि0
1	2	3	4	5	6	7
1	गाजियाबाद	01	—	02	06	21
2	कानपुर	—	01	01	05	20
3	लखनऊ	—	01	02	08	33
4	आगरा	—	—	01	03	07
5	इलाहाबाद	—	—	01	03	07
6	मेरठ	—	—	02	05	07
7	मुरादाबाद	—	—	01	03	06
8	अलीगढ़	—	—	—	01	03
9	बरेली	—	—	01	02	10
10	गोरखपुर	—	—	01	02	08
11	मथुरा–वृन्दावन	—	—	—	02	05
12	वाराणसी	—	—	01	02	08
13	बाँदा	—	—	—	01	02
14	बुलन्दशहर	—	—	—	01	02
15	फैजाबाद	—	—	—	01	02
16	फिरोजाबाद	—	—	—	01	02
17	हापुड़–पिलखुआ	—	—	01	02	08
18	झाँसी	—	—	—	01	02
19	मुजफ्फरनगर	—	—	—	01	02
20	रायबरेली	—	—	—	01	02
21	सहारनपुर	—	—	—	01	02
22	उन्नाव	—	—	—	01	02
23	रामपुर	—	—	—	—	01
24	उरई	—	—	—	—	01
25	खुर्जा	—	—	—	01	02
26	बागपत	—	—	—	—	01
27	आजमगढ़	—	—	—	—	01
28	शक्तिनगर वि0क्षे0	—	—	—	01	02

29	कुशीनगर वि0क्षे0	–	–	–	–	01
30	चित्रकूट वि0क्षे0	–	–	–	–	01
31	कपिलवस्तु वि0क्षे0	–	–	–	–	–
32	मिर्जापुर वि0क्षे0	–	–	–	01	02
	कुल–	**01**	**02**	**14**	**56**	**173**

भवदीय,

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1-- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3-- समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4-- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश फैक्स एवं ई–मेल के माध्यम से समस्त विकास प्राधिकरणों को प्रेषित करवाने का कष्ट करें तथा उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर भी डलवाने का कष्ट करें।
5-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।